

न्यायालय अपर समाहर्ता, गढ़वा  
भूमि विक्री अनुमति वाद सं०-75/2022  
सी० एन०टी० एक्ट की धारा 46(1)(B) के अंतर्गत  
श्रीमति सुनीता देवी—विक्रेता  
प्रति

श्री बिरेन्द्र पाल—क्रेता

—आदेश—

अभिलेख उपस्थापित। आवेदिका/विक्रेता श्रीमति सुनीता देवी, पति—स्व० बलराम ठाकुर, ग्राम—सिलिदाग, पोस्ट—सिलिदाग, थाना—रमना, जिला—गढ़वा ने नीचे दर्ज निम्नांकित भूमि को क्रेता श्री बिरेन्द्र पाल, पिता—श्री सीताराम पाल, ग्राम—चुन्दी, पोस्ट—गम्हरिया, थाना—रमना, जिला—गढ़वा को छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम की धारा 46(1)(B) के अंतर्गत भूमि विक्री करने हेतु आवेदन पत्र दिया है। उक्त आवेदन पत्र पर अंचल अधिकारी, रमना से आवेदन पत्र में वर्णित भूमि पर जाँच कर विहित प्रपत्र में स्पष्ट अनुशंसा के साथ आम इस्तेहार का विधिवत तामिला कराकर प्रतिवेदन की मांग की गई। उप समाहर्ता भूमि सुधार, श्री बंशीधर नगर के पत्रांक 228/दिनांक 10.12.2022 के द्वारा अंचल अधिकारी, रमना का जाँच प्रतिवेदन एवं आम इस्तेहार का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त हुआ एवं विक्रेता के द्वारा प्रतिवेदित भूमि के संबंध में आवश्यक कागजात प्रस्तुत किया गया।

प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं विक्रेता के द्वारा प्रस्तुत कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रस्तावित भूमि विक्रेता के पति के नाम से मांग पर चलता है। विक्रेता जाति के नाई हजाम (पिछड़ा वर्ग) एवं क्रेता गड़ेरी (पिछड़ा वर्ग) के सदस्य है, विक्रेता एवं क्रेता दोनों एक ही जिला गढ़वा के निवासी हैं। विक्रेता प्रस्तावित भूमि विक्री करने के पश्चात् भूमिहीन नहीं होते हैं। प्रस्तावित भूमि आवेदक (विक्रेता) के शांतिपूर्ण दखल-कब्जे में हैं। यह भूमि भूदान, भू-हदबंदी, वन सीमा इत्यादि से मुक्त है।


अतः उप समाहर्ता भूमि सुधार, श्री बंशीधर नगर एवं अंचल अधिकारी, रंका के जाँच प्रतिवेदन/अनुशंसा के आलोक में आवेदिका/विक्रेता श्रीमति सुनीता देवी, पति—स्व० बलराम ठाकुर, ग्राम—सिलिदाग, पोस्ट—सिलिदाग, थाना—रमना, जिला—गढ़वा ने क्रेता श्री बिरेन्द्र पाल, पिता—श्री सीताराम पाल, ग्राम—चुन्दी, पोस्ट—गम्हरिया, थाना—रमना, जिला—गढ़वा को नीचे दर्ज निम्नांकित भूमि की विक्री करने हेतु छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम की धारा 46(1)(B) के अन्तर्गत विक्री हेतु हस्तान्तरण करने की स्वीकृति दी जाती है।


भूमि का विवरण—

ग्राम	थाना सं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकबा (एकड़ में)	चौहदी
चुन्दी	118	पुराना-18 नया-96	पुराना-238 नया-274 / 1871	0.09 $\frac{3}{8}$	उ०-उमेश साह, द०-नीज, पू०-पक्की सड़क, प०-मंदीश राम,
कुल रकबा:-				0.09 $\frac{3}{8}$	

आदेश की प्रति आवश्यक कार्रवाई हेतु अवर निबंधक, श्री बंशी बंधर नगर को भेजे।

लेखापित एवं संशोधित।

  
अपर समाहर्ता,  
गढ़वा

  
अपर समाहर्ता,  
गढ़वा